

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/2017
दिनांक : 02/08/2022

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79 दिनांक 14.07.2014, 2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, जिला-बुलन्दशहर को विधि सहायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2022-2023 (दिनांक 01.07.2022) से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियाँ यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन०बी०सी० प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय में कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों का पालन पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तन-2-2014-16 (92) 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की प्राविधानित शर्तों का पालन तथैव शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उक्त प्राविधानित शर्तों का सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था का प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय कार्य परिषद की स्वीकृति दिनांक 05.07.2022 के आलोक में कुलपति जी के आदेशानुसार सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, जिला-बुलन्दशहर को विधि सहायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०ए०एल०एल०बी० (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत कतिपय शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2022-2023 (दिनांक 01.07.2022) से सम्बद्धता की स्वीकृति उपरोक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. जिन जिन शिक्षा अन्वयाग-2 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनाथ प्रेषित।
2. सचिव, सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कॉलेज, शिकारपुर, जिला-बुलन्दशहर को सूचनाथ प्रेषित।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनाथ ।
4. प्रभारी, कर्मचारी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाथ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाथ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनाथ प्रेषित।
7. प्रभारी इन्टरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सदरनिर्गत संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम वेबसाइट पर डालने का कार्य करे।
8. गार्ड फाइल हेतु।

प्राचार्य

सरस्वती विद्या मन्दिर लॉ कॉलेज
शिकारपुर (बुलन्दशहर)

कुलसचिव